भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1740

उत्तर देने की तारीख : 05.12.2024

एमएसएमई का कौशल विकास

1740. **श्री दुरई वाइको:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

विगत पांच वर्षों और वर्तमान के दौरान वर्ष/राज्य–वार और योजना-वार (i) देश भर में स्थापित प्रौद्योगिकी केंद्र और उनके विस्तार केंद्र, (ii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), (iii) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), (iv) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआईएमएसएमई), (v) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमजीआईआरआई) तथा कोई अन्य सरकारी संगठन द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कौशल विकास हेतु आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय युवाओं के लिए विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटित निधि का विवरण नीचे सारणीबद्ध है। राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान (निम्स्मे), महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (एमगिरी) और प्रौद्योगिकी केंद्रों/विस्तार केंद्रों द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए राज्य-वार कोई राशि आवंटित/संस्वीकृत नहीं की जाती है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को आवंटित/संस्वीकृत राज्य-वार राशि क्रमशः अनुबंध I और II पर दी गई है। पिछले 5 वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान संस्वीकृत राशि का विवरण निम्नानुसार है;

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	संगठन/योजना का नाम	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
i	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी)	320.40	320.40	321.07	336.98	329.65	468.44
ii	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	2504.44	1591.83	1450.94	771.43	1484.19	748.00
iii	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान (निम्स्मे+)	257.02	245.40	356.76	622.28	427.82	422.75
iv	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (एमगिरी)	7.11	15.69	22.98	26.13	41.30	24.78
v	प्रौद्योगिकी केंद्र और विस्तार केंद्र	प्रौद्योगिकी केंद्र और इसके विस्तार केंद्र विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्यतः राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) / राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) / राज्य तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एससीटीईवीटी) के अनुरूप होते हैं, इसके अलावा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित होते हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सशुल्क पाठ्यक्रम हैं और प्रौद्योगिकी केंद्रों को योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षुओं को दिए गए प्रशिक्षण के लिए प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।					

****

अनुबंध-I

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी): पिछले 5 वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान संस्वीकृत राशि का विवरण निम्नानुसार है;

क्र. सं.	**राज्य**	(रुपए लाख में)					
		2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1	असम	25.95	30.53	44.10	44.10	44.10	63.50
2	बिहार	50.54	45.81	52.16	46.20	52.08	55.15
3	दिल्ली	20.53	13.15	13.87	20.95	22.15	30.13
4	गुजरात	22.90	15.27	17.64	17.64	17.64	26.46
5	हरियाणा	22.90	17.18	17.31	18.80	17.37	27.34
6	हिमाचल प्रदेश	15.62	13.99	17.77	14.01	15.36	18.55
7	कर्नाटक	15.33	11.10	0	0	0	0
8	पंजाब	0.00	8.79	10.38	18.17	14.01	26.45
9	तमिलनाडु	22.90	7.82	9.58	26.28	24.76	32.32
10	तेलंगाना	0.00	19.74	22.30	27.27	23.07	31.64
11	उत्तर प्रदेश	77.94	69.92	82.01	73.59	66.33	96.46
12	पश्चिम बंगाल	21.37	7.63	8.46	6.63	7.30	7.09
13	उत्तराखंड	24.42	21.37	25.49	23.34	25.49	53.34
	कुल	**320.40**	**282.30**	**321.07**	**336.98**	**329.65**	**468.44**

अनुबंध-II

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी): पिछले 5 वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान संस्वीकृत राशि का विवरण निम्नानुसार है;

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20 (रुपए लाख में)	2020-21 (रुपए लाख में)	2021-22 (रुपए लाख में)	2022-23 (रुपए लाख में)	2023-24 (रुपए लाख में)	2024-25 (रुपए लाख में)
1	जम्मू और कश्मीर	26.51	35.43	46.88	4.68	0.99	58.40
2	हिमाचल प्रदेश	0	0.24	1.21	0	0	0
3	पंजाब	0	0.27	0.27	0	9.32	14.36
4	हरियाणा	0	0.28	0.28	3.30	1.07	9.02
5	दिल्ली	81.82	119.40	113.46	111.42	85.56	146.85
6	राजस्थान	60.30	43.55	49.08	4.89	28.73	60.33
7	उत्तराखंड	53.95	55.93	60.08	18.39	40.24	52.20
8	उत्तर प्रदेश	83.50	137.12	104.1	49.11	161.25	147.59
9	छत्तीसगढ़	0	0.25	0.25	0	22.39	13.82
10	मध्य प्रदेश	8.31	25.72	30.8	7.9	0	42.22
11	सिक्किम	0	0.10	0.20	0	0	0
12	अरुणाचल प्रदेश	0	0.10	0.20	0	1.29	8.28
13	नागालैंड	27.95	26.31	22.4	17.73	24.03	33.44
14	मणिपुर	0	0.10	0.15	0	5.92	7.40
15	मिजोरम	11.92	30.48	30.18	37.1	17.7	42.80
16	त्रिपुरा	0	0.16	0.20	0	1.10	7.04
17	मेघालय	0	0.12	0.20	0	10.00	9.60
18	असम	67.69	85.03	94.16	32.3	48.69	91.01
19	बिहार	34.26	58.39	53.08	12.01	72.35	64.00
20	पश्चिम बंगाल	30.59	52.93	65.40	55.72	108.85	122.17
21	झारखंड	0	0.20	45.34	16.13	16.15	36.38
22	ओडिशा	16.79	25.05	12.96	3.52	38.39	65.57
23	गुजरात	0	0.25	0.92	0	11.49	0
24	महाराष्ट्र	933.63	368.54	350.73	224.08	412.77	348.45
25	गोवा	0	0.05	0.20	0	0	0
26	आंध्र प्रदेश	15.40	15.33	24.25	35.84	5.73	22.24
27	तेलंगाना	0	15.32	0.30	0.27	9.61	29.60
28	कर्नाटक	404.89	175.09	160.92	66.62	172.89	152.19
29	केरल	108.22	110.05	93.44	62.06	116.19	109.30
30	तमिलनाडु	65.09	59.61	50.31	8.36	61.49	88.41
31	विभागीय	473.62	150.43	38.99	0	0	0
कुल योग		**2504.44**	**1591.83**	**1450.94**	**771.43**	**1484.19**	**1782.67**